न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 27 / 2017

1. बद्रीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. संजय कुमार पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. जमना पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. विश्वजीत पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. महेश कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. जगमाल पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, रायसिंहनगर

दिनांक 11.02.2017

उपस्थिति

श्री एम एल बाना अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री रविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. ।

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांकः– 16.08.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दलीपकुमार ने एक प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष कलोनी कंडीशन की शर्त संख्या 8(2) के तहत प्रस्तुत कर चक 28 पीएस के प.प. 230/289 मु0न0 2 के कि.न. 21 से 25, प0न0 229/289 मु0न0 3 के कि.न. 21 से 25 व प0न0 228/289 मु0न0 4 के कि.न. 21 से 25 प्रत्येक में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया । तत्पश्चात अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने दिनांक 16.09.2015 को अधी.न्यायालय में रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत प्रा.पत्र पेश कर चक 28 पीएस के मु0न0 4 के कि.न. 21 से 25 में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी संख्या 5, 6 जबाव प्रा.पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 7 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 11.02.2017 को प्रा.पत्र अस्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसे अपीलार्थीगण ने अधी.न्यायालय में अपनी साक्ष्य से साबित कर दिया था । रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में अपीलार्थीगण भूमि भी देने को तैयार है। रेस्पो. ने अधी.न्यायालय में यह साबित नहीं किया कि अपीलार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध है। फिर भी अधी.न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि कि.न. 21 से 25 में सरकारी रास्ता चल रहा है। रास्ता सुविधानुसार स्वीकृत नहीं किया जा सकता बल्कि आवश्यकतानुसार स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलार्थीगण ने एक अन्य रास्ता स्वीकृत कराने हेतु दोलतराम बनाम अंग्रेजसिंह प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि प्रार्थीगण अन्य रास्ता स्वीकृत करावाने हेतु प्रा.पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण अधी.न्यायालय में प्रा.पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। इस अपील के माध्यम से कोई राहत नहीं पा सकता । अतः अपील अस्वीकार की जावें ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

यह अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय करने में विधिक mind apply करने के बजाय pressure on mind के वशीभूत होकर निर्णय किया हैं राजस्थन काश्तकारी अधिनियम की धारा 215 ए एक खातेदार को अपने खेत में पहुंचाने के लिए दूसरे खातेदार की कृषि भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान है । जहां पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है तथा इसकी आवश्यकता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय में यह अंकित करना कि रास्ता दिये जाने से प्रतिपक्ष की भूमि व काश्त को क्षति होने की पूर्ण संभावना है के सम्बन्ध में धारा 251 ए की कियान्वति हेतु बने नियम 70(1)(a) संदर्भित है जहां रास्ते की भूमि के बदले मुआवजे के रूप में DLC की दुगुनी दर से भूमि को Compensate किये जाने का प्रावधान नियमों में निहित है जबकि सामान्यतया भूमि अधिग्रहण के लिए DLC की दर से ही लागू होती है।

16/8/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

तथा निर्णय में यह भी लिखना कि प्रार्थीगण मु.न. प.न. से रास्ता स्वीकृत कराने हेतु समक्ष न्यायालये में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगे भी अपीलांट द्वारा अपील में अनुतोष हेतु आना अपरिहार्य बनता है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.02.2017 निरस्त कर चक 28 पीएस के मु.न. 3 प.न. 220/289 के कि.न. 12 से 25 के 14 बीघा नहरी भूमि खातेदारी में जाने के लिए इसी चक के मु.न. 4 के प.न. 228/289 के कि.न. 21 से 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सम्बन्धित पक्षकार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है जिनकी भूमि रास्ते के लिए उपयोग में आयेगी उनकी भूमि की DLC की दुगुनी दर से मुआवजा राशि स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायसिंहनगर उपरोक्त आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालये में पेश करें

निर्णय दिनांक 16.08.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)